स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 33 / प्रेस क्लीपिंग / 7 / 2015 / आरयू.–III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 12-11-2015

सेवा में,

1. श्री के. किशोर सोन,
सचिव,
राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)

2. श्रीमती वंदना डाडेल,
सचिव,
कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार
रांची (झारखण्ड)

3. श्री एन.एन. पाण्डेय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव
गृह विभाग, झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)

4. डा. हसमुख आदिया,
सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग एवं बीमा)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली

5. श्री डी. के. पाण्डेय,
पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड
पुलिस मुख्यालय,
रांची (झारखण्ड)

6. श्री कृपानन्द,
जिलाधिकारी / उपायुक्त,
जिला–धनबाद,
झारखण्ड

7. श्री राकेश बंसल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला–धनबाद,
झारखण्ड

विषयः प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 04.11.2015 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में कार्यवृत्त पर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

9202-10
12/11/15

भवदीय,

एन. बालसुब्रमणियन

(एन. बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011,मध्य प्रदेश, कृपया उपरोक्त बैठक में उपस्थित रहें।

2. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची–834002 (झारखंड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

Copy to :- 1. SSA, NIC.

P.T.O.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फा.सं.33/prssclipping/7/2015/RU-III

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले मे रिंग रोड के निर्माण हेतु भू-अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के साथ दिनांक 04.11.2015 को हुई बैठक का कार्यवृत।

(प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए" के संबंध में।)

बैठक की तिथि - 04.11.2015

बैठक में उपस्थित - परिशिष्ट (क)

दिनांक 30.06.2015 को आयोग में आयोजित की गई बैठक के अनुसरण में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से की गई आवश्यक कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने प्रकरण की समीक्षा दिनांक 04.11.2015 को आयोग में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग(बैंकिंग एवं वित्त), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, उपायुक्त, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को आहूत किया।

(क) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने पत्र दिनांक 02.11.2015 द्वारा उक्त बैठक में भाग लेने के लिए श्री राजीव रंजन, निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, झारखण्ड सरकार को प्राधिकृत किया है।

(ख) उपायुक्त, धनबाद ने पत्र दिनांक 02.11.2015 द्वारा दिनांक 30.06.2015 की बैठक के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न करते हुए बैठक के लिए दूसरी तिथि सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(ग) इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, धनबाद ने पत्र दिनांक 02.11.2015 द्वारा सूचित किया कि उनके स्थान पर श्री धीरेन्द्र नारायण बंका, पुलिस उपाधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), धनबाद उक्त बैठ में भाग लेंगे।

रामेश्वर 3/11/15

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(घ) सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड की ओर से आयोग को न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ और न ही वे बैठक में उपस्थित हुए।

2. बैठक के प्रारम्भ में आयोग ने विचार व्यक्त किया कि धनबाद में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि का अधिग्रहण विकास कार्य हेतु किया गया था किन्तु उन्हें वास्तविक रूप से उसका मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाया है। उपायुक्त, धनबाद द्वारा भेजी गई अनुपालना रिपोर्ट प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही से संबंधित पाई गई है जो कानून की प्रक्रिया को पूरा करना है। इस भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जमीन तो गई ही है आजीविका का साधन भी चला गया। उन्हें मिलने वाला मुआवजा भी हड़प लिया गया। प्रशासन के नियमों/कानूनों के होते हुए उनको उनकी जमीन से वंचित कर ठगा जाना अत्यन्त गंभीर कृत्य है। इस मामले में प्रशासन द्वारा जनजातियों का संरक्षण नहीं किया गया जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई तथा इसके बदले दूसरी जमीन या मुआवजा दिए जाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतएव यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों का संरक्षण करने में संकुचित है।

3. यह भी आयोग की जानकारी में आया है कि पुलिस द्वारा सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सभी पीड़ितों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए। चूंकि यह मामला अत्याचार से संबंधित है, अतः प्रशासन को जांच कर suo moto कांड दर्ज करना चाहिए।

4. चूंकि इस मामले में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के मुआवजे के भुगतान अथवा उसके एवज में उन्हें दूसरी भूमि दिए जाने तथा मुआवजा हड़पने वाले अधिकारियों एवं दलालों की चल/अचल समपत्ति जब्त कर मुआवजा वसूलने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट पक्ष रखा जाना आवश्यक है, अतः वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति आयोग में वांछनीय है। इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जनजाति के छले गए सदस्यों को बिना किसी संरक्षण के छोड़ दिया जाए क्योंकि मात्र कुछ मामले दर्ज कर लेने से अथवा गिरफ्तारियां कर लेने से उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी और न्याय का पक्ष वंचित ही रहेगा। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में सम्मिलित नहीं होना एक गम्भीर मुद्दा है। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक एंव पुलिस अधीक्षक, धनबाद के साथ संविधान के अनुच्छेद 338क की धाराओं का प्रयोग करते हुए अगली तिथि को बैठक की जाएगी।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक–क

फा.सं.33/prssclipping/7/2015/RU–III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष (अध्यक्षता)
2.श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक
3.श्री एस. पी. मीना, सहायक निदेशक
4.श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
5.श्री हरिराम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

झारखण्ड सरकार के अधिकारी

1.श्री राजीव रंजन, निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
2.श्री धीरेन्द्र नारायण बंका, पुलिस उपाधीक्षक, धनबाद